1	2	3	4
4.	Rajasthan	7050	7210
5.	Jammu & Kashmir	7050	7210
6.	Delhi	6790	7110
7.	Maharashtra		
	(Bombay,	6980	7300
	Mahim, etc.,	6680	7000
	Rest of Maharashtra		
8.	Madhya Pradesh	6680	7000
9.	Gujarat (Kandla/		
	Rozi/Okha/	6980	7300
	Bhavnagar)*	6680	7000
	Rest of Gujarat		
10.	Kerala (Cochin,		
	etc.,)*	6980	7300
	Rest of Kerala	6680	7000
11.	Tamil Nadu (Madras,		
	Cuddalore, Tuticorin,		
	Pondicherry)*	6980	7300
	Rest of Tamil Nadu	6680	7000
12.	Karnataka (Old/		
	New Mangalore,		
	Karwar etc.)*	6980	7300
	Rest of Karnataka	6680	7000
13.	Andhra Pradesh		
	(Kakinada, Vizag)*		
	Rest of Andhra	6980	7300
	Pradesh	6680	7000
14.	West Bengal		
	(Calcutta, Haldia)*	6980	7300
	Rest of West Bengal	6680	7000
15.	Orissa (Paradeep)*	7040	7350
	Rest of Orissa	6740	7050
16.	Bihar	6680	7000

* These rates would be applicable within 50 kms. from the port as well as in the case of dedicated movement by rail undertaken by the FCI towards port town godowns/rail heads or any other destination (e.g. in Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal etc.,) where sales/deliveries would be effected by FCI as desired by the exporters.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा देने के आदेश

1364. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कार्यरत राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग और विभिन्न उपभोक्ता संरक्षण न्यायालयों ने आदेश दिया है कि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों द्वारा उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा दिया जाये;

(ख) क्या सरकार ने गत वर्ष के दौरान देश भर के सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दिए गए मुआवजे की राशि के बारे में कोई आंकड़े संकलित किए हैं;

(ग) क्या सरकार सरकारी अधिकारियों की और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उपभोक्ताओं को मुआवजा दिए जाने के मामलों में मुआवजे की राशि को राजकोष के स्थान पर संबंधित अधिकारियों के वेतन से वसूल किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए अपने नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) (श्री विनोद शर्मा): (क) और (ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत गठित न्यायालय प्रत्येक मामले पर गुण-दोष के आधार पर फैसला करने में सक्षम हैं। केन्द्रीय सरकार देश भर में विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति की राशि के संबंध में कोई समेकित आंकड़े नहीं रखती है।

(ग) और (घ) इस समय इस संबंध में इन नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है या जब कभी न्यायालय द्वारा ऐसा निर्णय किया जाता है तो संबंधित विभाग विद्यमान नियमों के तहत कार्रवाई करता है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कमाया गया लाभ

1365. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम गत तीन वर्षों से लाभ कमा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है

तथा उसके क्या कारण हैं और इसके पुनर्गठन के बाद क्या-क्या लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे; और

(ङ) क्या सरकार इसके लिए सहमत हो गई है; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) तथा (ख) जी हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान एस०टी०सी० द्वारा प्राप्त कर पूर्व लाभ का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	करोड़ रु० में
1992-93	26.93
1993-94	29.97
1994-95	41.04

(ग) से (ङ) अब तक एस०टी०सी० के जरिए सरणीकृत कई मदों के निर्यात और आयात के सरणीयन को समाप्त कर देने के फलस्वरूप सरकार एस०टी०सी० के कार्य संचालन को उदारीकृत अर्थव्यवस्था और प्रतिस्पर्धी वातावरण के अनुरूप बनाने की जरूरत की पुनरीक्षा कर रही है। अपने व्यापारिक क्रिया-कलापों को व्यापक बनाने के एक भाग के रूप में, खासकर गैर-सरणीयन क्षेत्र में, एस०टी०सी० प्रमुख कार्यक्रमों का विविधिकरण कर रही है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित कार्य-योजनाएं अपना कर अगले पांच वर्षों के भीतर 5,000 करोड़ रु० का वार्षिक कारोबार हासिल करना है:—

—सीधे खरीद और बिक्री पर जोर देना;

—विदेशों में विपणन नेटवर्क को मजबूत करना;

—सी आई एस देशों के साथ अधिक व्यापार करना;

—संयुक्त उद्यम स्थापित करना;

—ओ जी एल आयात करना;

—घरेलू व्यापार बढ़ाना।

चीनी नीति में परिवर्तन

1366. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी**: क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गन्ना उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए चीनी नीति में क्या परिवर्तन किए गए हैं;

(ख) गन्ना उत्पादकों के लिए कौन-सी नई व्यवस्थाएं की गई हैं;

(ग) चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) गन्ने के अन्य उपयोगों संबंधी योजना क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) 1994-95 मौसम में चीनी और गन्ने का बहुत अच्छा उत्पादन होने और 1995-96 मौसम में भी बहुत अच्छा उत्पादन होने के संकेत मिलने के कारण चीनी नीति में कोई व्यापक परिवर्तन नहीं किया गया है। तथापि, 1.1.1996 से लेवी चीनी के आवंटन में संशोधन किया गया है जो 1986 की जनसंख्या की बजाय 1991 की जनसंख्या पर आधारित है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये 2.16 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध होगी।

(घ) चीनी के अलावा, गन्ने का इस्तेमाल गुड़ और खण्डसारी के उत्पादन में भी हो रहा है। अच्छे उत्पादन को ध्यान में रखते हुए गुड़ (नियंत्रण) आदेश, 1994 को प्रभावी नहीं पाया गया और इसे रद्द कर दिया गया।

Non-payment of minimum wages to workers

1367. SHRI JANARDAN YADAV: *Will the Minister of* LABOUR *be* pleased to state:

(a) whether workers in various parts of the country are not being paid the minimum wages fixed;

(b) if so, whether Government have set up a Central Industrial Relation Machinery for the implementation of the Minimum Wages Act;

(c) if so, when was this set up and the average total amount being spent by Government on this; and

(d) what is the total number of cases investigated by this machinery so far and number of cases found to be irregular and names of the States in respect of which maximum and minimum irregular cases have been detected respectively?

THE MINISTER OF LABOUR